पत्रांक–13 / मु0 09–75 / 2025.......265......../

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विनायक मिश्र, (भा0प्र0से0)
निदेशक, जन शिक्षा,
बिहार, पटना।

सेवा में,

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
मगध प्रमण्डल, गयाजी।

पटना, दिनांक–...11/03/26.../

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–12545 / 2025 में पारित आदेश के अनुपालन में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को समूह–'घ' के रिक्त पदों के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–945 दिनांक 27.04.2017 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के तहत समायोजन / नियुक्ति हेतु नाम प्रेषित करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 206 दिनांक 18.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त रिक्ति के आलोक में निम्नांकित भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को समूह–'घ' के रिक्त पदों पर समायोजित / नियुक्त करने हेतु अनुशंसा भेजी जा रही है:–

क्र0 सं0	भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का नाम	वर्त्तमान पता	जन्मतिथि	जाति / कोटि	गृह जिला	योग्यता
1	श्रीमती मंजुला कुमारी	पति–श्री दिनेश साह ग्राम–विशंभरपुर, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर (बिहार)	06.05.1972	अतिपिछड़ा वर्ग	शिवहर	मैट्रिक
2	श्रीमती आशा कुमारी उर्फ आशा देवी	पति– श्री गणेश प्रसाद सिंह ग्राम–पचरा (लक्ष्मीपुर), पो0–छतौनी, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर (बिहार)	12.12.1968	सामान्य वर्ग	शिवहर	इन्टर

2. उक्त अनुदेशकों का माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या–1489 / 2011 एवं सिविल रिव्यू संख्या–344 / 2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–32079 / 2015 में पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रमुख शर्तों के अधीन प्राख्यापित शर्तों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय। ज्ञातव्य हो कि विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 के प्रमुख शर्तें निम्नवत हैः–

(i) समायोजन के लिए समूह–'घ' के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विहित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक एवं समकक्ष उत्तीर्ण होगी।

(ii) समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जायेगी, परन्तु वैसे अनुदेशक समायोजन के योग्य होंगे, जिनकी सेवानिवृति की आयु (60 वर्ष) शेष है, अर्थात् 60 वर्ष की आयु पूर्ण करनेवाले नियुक्त नहीं होंगे।

E/Ranikumari/letter/all Letter 2024 director Anil sir new

(iii) संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नयी नियुक्ति के माध्यम से किया जायेगा तथा समायोजित पद के न्यूनतम प्रक्रम पर वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(iv) समायोजित व्यक्तियों पर राज्य में प्रवृत्त नई पेंशन योजना लागू होगी तथा पूर्व की सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

3. संबंधित व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आई०डी० कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, जिससे संलग्न सूची में अंकित विवरणी की सम्पुष्टि की जा सके एवं उनकी पहचान की जा सके।

4. संबंधित व्यक्ति के द्वारा पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर संबंधित कार्यालय में अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण–पत्र, उम्र एवं जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं एक सेट स्व अभिप्रमाणित/अभिप्रमाणित छाया–प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

5. संबंधित व्यक्ति को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण–पत्रों/जाति/उम्र प्रमाण–पत्र की जाँच नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर की जायेगी।

6. संबंधित व्यक्ति को प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रमाणित शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा कि:–

(i) उनकी जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र,

(ii) योग्यता का प्रमाण–पत्र एवं

(iii) समायोजन हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों को पूरा करने संबंधी साक्ष्य एवं अन्य सभी सूचना उनकी जानकारी में सही है।

7. प्रासंगिक मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका संख्या–12545/2025 में दिनांक 08.09.2025 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु दायर अवमाननावाद संख्या 575/2026 से संबंधित है। संबंधित अभ्यर्थी को समायोजित किये जाने के संबंध में शिवहर जिला में गठित त्रिसदस्यीय कमिटि की अनुशंसा प्राप्त है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक 121 दिनांक 16.10.2025 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गयी है।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार संबंधित अनुदेशकों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(विनोयक मिश्र)
निदेशक, जन शिक्षा,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 13/मु0 09–75/2025 265 / पटना/दिनांक– 11/03/26

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), शिवहर/श्रीमती मंजुला कुमारी, पति–श्री दिनेश साह, ग्राम–विशंभरपुर, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर (बिहार)/श्रीमती आशा कुमारी उर्फ आशा देवी, पति– श्री गणेश प्रसाद सिंह, ग्राम–पचरा (लक्ष्मीपुर), पो0–छतौनी, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर (बिहार) एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबासाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, जन शिक्षा,
बिहार, पटना।